

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज़ नम्बर २४-२५
दक्षिण मार्ग, सेक्टर ३१ ऐ
चण्डीगढ़-१६००३०

F.No. :- 9-PBC593/201५-CHA

दिनांक: मंगलवार, 23 जून 2015

सेवा में,

नोडल ऑफिसर,
एफ० सी० ऐ० & सी० सी० एफ० (एफ सी)
पंजाब सरकार, वन कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 68,
एस० ए० एस० नगर (मोहाली), पंजाब

विषय:- Diversion of 6.046 hectares of forest land in favour of Central Works Division, PWD, (B&R) Branch Jalandhar for widening of existing way from 5.18 m to 10 m with strengthening from KM 38.100 to 48.490 section Sultanpur Lodhi (Dadwindi)-Tashpur-Lohian-Gidderpindi including widening of culvert/minor Bridges under Forest Division and District Jalandhar, Punjab

सन्दर्भ: नोडल ऑफिसर एवं मुख्य वन संरक्षक (वन) के पत्र संख्या FCA/1980/260/2014/3531 दिनांक 03.06.2015.

महोदय,

आपका ध्यान उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित संदर्भित पत्र की ओर दिलाया जाता है, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अनुसार गैर वानिकी उद्देश्य के लिए 6.046 हेक्टेयर वन भूमि की मांग की गई है।

2. Duly filled in proforma was sent to the "Officer On Special Duty" Ad-hoc CAMPA and he has reported that the transaction detail viz RTGS/(UTR) number and name of the bank (viz. Corporation Bank/Union Bank of India) have not been mentioned in Col. No. 9 and 10 of the proforma. Please complete proforma be submitted again (copy enclosed).
3. Further details of the remittance of CA levies be obtained and conveyed through proforma to this office so that the same be furnished to OSD-CAMPA for further necessary action.
4. उपरोक्त जानकारी, इस पत्र के जारी होने के पश्चात 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें | जिसके प्रस्तुत न करने की स्थिति के अभाव में इस प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है।

भवदीय
६५/६५
(हर्ष मित्र) २५.६.१५

अ० प्र० मु० वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि:

1. The Executive Engineer Central Work Division, P.W.D. B&R, Jalandhar, Punjab.